

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक: 23.05.2021

यू0पी0-112 सिद्धार्थनगर के पीआरवी-1512 (चार पहिया) थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर के पीआरवी कर्मियों द्वारा ट्रक और बाइक की भिड़त में गम्भीर रूप से घायल होने की सूचना पर मात्र 08 मौके पर पहुंचकर घायल को एम्बुलेंस के माध्यम से हारिस्पटल भेजवाया गया । प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा पीआरवी के कार्य,व्यवहार सूझ-बूझ एवं तत्परता की भूरि-भूरि प्रशंशा की गयी ।

दिनांक 22.05.2021 को समय 02.21 बजे एक कालर ने बताया कि कपिया चौराहा, निकट इडिप्यन आयल पेट्रोल पम्प थाना चिल्हिया के पास बाइक और ट्रक का एक्सीडेण्ट हो गया है, ट्रक वाला मार कर भाग गया है । इस सूचना पर पीआरवी कर्मियों द्वारा मात्र 08 मिनट में मौके पर पहुंचकर देखा गया कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गयी है और एक व्यक्ति गम्भीर रूप से घायल है । पीआरवी कर्मियों द्वारा तत्काल एम्बुलेंस के माध्यम से घायल व्यक्ति को जिला अस्पताल भेजवाया गया। मामले की जानकारी एसएचओ को देते हुये मौके पर बुला कर घटनास्थल को अग्रिम कार्यवाही हेतु उनके सुपुर्द किया गया । घटनास्थल पर उपस्थित प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा पीआरवी के कार्य, व्यवहार सूझ-बूझ एवं तत्परता की भूरि-भूरि प्रशंशा की गयी ।

ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी गण-

कमाण्डर:- राम अवतार यादव

सबकमाण्डर:- चन्द्रेश कुमार

पीआरवी पायलट:- प्रदीप कुमार पाण्डेय

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक: 23.05.2021

थाना शोहरतगढ़ पुलिस ने मु.अ.सं. 89/21 धारा 366/376/506 भा.द.वि. में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा ।

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में “अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान” के अन्तर्गत श्री सुरेश चन्द रावत अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में श्री प्रदीप कुमार यादव, पुलिस उपाधीक्षक शोहरतगढ़ व प्रभारी निरीक्षक श्री राजेन्द्र बहादुर सिंह थाना शोहरतगढ़, सि0नगर के कुशल निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना शोहरतगढ़ पुलिस द्वारा कृत कार्यवाही-

थाना स्थानीय पर दिनांक 23.05.2021 को उ.नि. रामनगीना यादव मय टीम द्वारा थाना शोहरतगढ़ पर पंजीकृत मु.अ.सं. 89/21 धारा 366/376/506 भा.द.वि. में वांछित फरार चल रहे अभियुक्त राजदेव पुत्र परमेश्वर निवासी लखनपारा थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय / जेल भेजा गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

- राजदेव पुत्र परमेश्वर निवासी लखनपारा थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. उ.नि. रामनगीना यादव थाना शोहरतगढ़ जनपद सि0 नगर ।
2. हेका. प्रदीप यादव थाना शोहरतगढ़ जनपद सि0 नगर ।

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक: 23.05.2021

यातायात नियमों का उल्लंघन कर फर्माटा भरने वाले वाहनों/व्यक्तियों का ई-चालान व सीज करने की कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा समस्त क्षेत्राधिकारी/प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है, इसी क्रम में आज दिनांक:- 23-05-2021 को जनपदीय पुलिस बल द्वारा एम0वी0 एक्ट के अंतर्गत 341 वाहनों को चेक किया गया तथा कुल 104 वाहनों का चालान कर ₹ 74,400/-शमन शुल्क वसूल किया गया।

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक: 23.05.2021

दिनांक: 22.05.2021 को जनपद सिद्धार्थनगर में जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में सैनेटाइजेशन का कार्य कराया गया।

पुलिस लाइन सिद्धार्थनगर कार्यालय 112,पुलिस कंट्रोल रूम,प्रशासनिक भवन,घरहिया लाइन,प्रतिसार निरीक्षक आवास,क्षेत्राधिकारी आवास,एम०टी०स्टोर-कार्यालय, सरस्वती बैरक ,क्वार्टर गार्ड सम्पूर्ण परिसर-पुलिस आफिस सिद्धार्थनगर आंकिक शाखा,ए०ला०यू० आफिस,जन सूचना आफिस,श्रीमान पुलिस अधीक्षक कार्यालय,श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय,क्षेत्राधिकारी कार्यालय, महिला हेल्प डेस्क,रिकार्ड रूम,बड़े बाबू कार्यालय क्राइम ब्रांच आफिस व कार्यालय सम्पूर्ण परिसर सिद्धार्थनगर-महिला थाना सिद्धार्थनगर कार्यालय, आगन्तुक कक्ष, सम्पूर्ण परिसर आदि में सैनेटाइजेशन का कार्य कराया गया।

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक: 23.05.2021

कोविड महामारी अधिनियम के उल्लंघन करने वालों व्यक्तियों के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई बड़ी कार्यवाही।

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में श्री सुरेश चन्द्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के निर्देशन में कोविड-19 महामारी के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत, कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने व कोविड महामारी अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध अभियान चलाया गया। इसी क्रम में आज दिनांक 23-05-2021 को जनपदीय पुलिस द्वारा चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत मास्क न लगाने तथा अन्य कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन न किए जाने के कारण महामारी अधिनियम की धारा 3, 4 व 5 का उल्लंघन करने वाले 238 व्यक्तियों का चालान किया गया तथा उनसे कुल ₹ 29500/- की धनराशि शमन शुल्क के रूप में वसूली गई।

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक: 23.05.2021

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशानुसार श्री सुरेश चन्द्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में आज दिनांक 23-05-2021 को श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज द्वारा सर्किल के सभी थानों के प्रभारी निरीक्षक का अर्दली रूम किया गया। जिसमें क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज द्वारा लंबित विवेचना के जल्द से जल्द निस्तारण हेतु सभी प्रभारियों को निर्देशित किया गया तथा कोविड-19 के दृष्टिगत सभी को अपने-अपने थानाक्षेत्रों में भ्रमणशील रहकर लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही कर लॉकडाउन का कड़ाई से अनुपालन कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक: 23.05.2021

अपर पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर द्वारा थाना भवानीगंज का आकस्मिक निरीक्षण कर अपराध नियंत्रण, लंबित विवेचना व शिकायती प्रार्थना पत्रों का समयबद्ध गुणवत्ता पूर्वक निस्तारण करने हेतु आवश्यक आदेश-निर्देश दिए गए ।

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशानुसार श्री सुरेश चन्द्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर आज दिनांक 23.05.2021 को थाना भवानीगंज का आकस्मिक निरीक्षण किया गया । महोदय द्वारा थाना परिसर, कार्यालय, अभिलेख, मेस, बैरिक, महिला हेल्प डेस्क, शौचालय में साफ सफाई की स्थिति, थाना परिसर में जलापूर्ति एवं जल निकासी की व्यवस्था, आरक्षियों की बीट में रवानगी व उनके द्वारा की जा रही हिस्ट्रीशीटों की निगरानी इत्यादि का निरीक्षण कर प्रभारी निरीक्षक थाना भवानीगंज व उपस्थित अधिकारी/कर्मचारीगण को अपराध नियंत्रण, लंबित विवेचना व शिकायती प्रार्थना पत्रों का समयबद्ध गुणवत्ता पूर्वक निस्तारण करने हेतु आवश्यक आदेश-निर्देश दिए गए ।

